उदयपुर डेयरी

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर

फोन नं. :– 0294.2640258 **E-mail: saras@milkunionudaipur.com**

निविंदा नोटिस न0 4897 दिंनाक–03.03.2022

1	निविदा का नाम	.	उदयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रो मे मोबाईल पार्लर (टेम्पो)के माध्यम से उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु। जोन–प्रथम
2	निविदा संदर्भ	.	अल्पकालीन निविदा सूचना
3	निविदा की अनुमानित लागत	.	रू. 3.00 लाख
4	निविदा की अवधि		1 वर्ष
5	अरनेस्ट मनी (अमानत राशि)	.	रू. 6,000 / – का डी.डी. (अक्षरे छः हजार रूपये) (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर के पक्ष में)
6	निविदा शुल्क	.	रू. 236 / – का डी.डी. (अक्षरे दो सौ छतीस रूपये) (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर के पक्ष में)
7	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक व समय		7.03.2022 दोपहर 1:00 बजे से
8	निविदा फार्म जमा कराने की दिनांक व समय	.	8.04.2022 दोपहर 2:00 बजे तक
9	निविदा फार्म खोलने की दिनांक व समय	.	8.04.2022 दोपहर 3:00 बजे
10	निविदा फार्म के ब भाग खोलने की दिनांक व समय	.	8.04.2022 दोपहर 4:00 बजे
11	निविदा खोलने का स्थान	.	Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Ahmedabad Road , Udaipur (Raj,) 313002

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदा तकनीकि पप्रत्र भाग 'अ'

उदयपुर शहर व आसपास के विभिन्न क्षैत्रो पर दुग्ध उत्पाद का विक्रय किये जाने हेतु मोबाईल पार्लर (टेम्पो) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निविदाः–

निविदादाता द्वारा भरने के लिये प्रपत्र भाग 'अ'

विवरण	मांगे गये वांछित दस्तावेज
निविदादाता का नाम..	आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स के अनुसार
पिता का नाम..	उपरोक्तानुसार
स्थाई पता..	उपरोक्तानुसार
पत्राचार का पता..	उपरोक्तानुसार
शैक्षणिक योग्यता..	शर्तो मे वांछित दस्तावेज
मोबाईल नम्बर...	
ई–मेल का पता...	
पेन कार्ड का विवरण..	संलग्न करे।
जी.एस.टी नम्बर..	संलग्न करे।
आधार कार्ड...	संलग्न करे।
एफ.एस.एस.ए.आई. एक्ट, 2006 का लाईसेन्स नम्बर......................................(रजिस्ट्रेशन नम्बर मान्य नही होगा)	दस्तावेज संलग्न करे।
निविदादाता के बैंक का नाम व पता...	बैंक की पास बुक /बैंक स्टेटमेन्ट
निविदादाता के बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड...	उपरोक्तानुसार
जमा निविदा फीस बैंक ड्राफ्ट की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम..........................	विवरण लिखें
अमानत राशि के लिये प्रस्तुत डी.डी/दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम......................................	विवरण लिखें
निविदादाता की गत मार्च को समाप्त वित्तिय वर्ष से तीन वर्ष की आयकर विवरणीया, अंकेक्षित लेखे लाभ हानि खाता, संतुलन चित्र...	संलग्न करे।
वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र	संलग्न करे।
वाहन की बीमा पॉलिसी	संलग्न करे।
मोबाईल पार्लर हेतु टेम्पो वाहन का मॉडल (आर.सी रजि. कॉपी)	संलग्न करे।
वाहन का परमिट	दस्तावेज संलग्न करे।

वाहन की उपलब्धता हॉ/नही सम्बन्धी जानकारी (हां हेतु) वाहन माडल 2018 से पहले का न हो।				
क्र. सं.	पंजीयन संख्या व पंजीयन दिनांक	वाहन के स्वामी का नाम व पता तथा पंजीयन अधिकारी व पता	वाहन का मॉडल एवं कम्पनी का नाम	अन्य विवरण
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

निविदा मे उल्लेखित सभी शर्ते, उपबन्धों एवं विषेश शर्तो को मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयाः स्वीकार है। जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैने /हमने निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा सूचना की आवश्यक शर्ते

क्रमांक

1.0 **अमानत राशि**

1.1 निविदा फार्म के साथ निर्धारित अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार का ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर संलग्न करना आवश्यक हैं। जिसके अभाव में निविदा मान्य नही होगी। जमा राशि पर संघ द्वारा ब्याज देय नही होगा।

1.2 सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बाकी सभी की अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

1.3 न्यूनतम निविदादाता को वितरक नियुक्ति कार्यादेश देने के पश्चात निर्धारित तिथी को अनुबन्ध सम्पादन अथवा निर्धारित तिथी कार्य प्रारम्भ नही करने की दशा में अमानत राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित हैं।

1.4 किन्ही आंतरिक अथवा वैधानिक कारणों से समस्त निविदाओं को निरस्त करने की स्थिति में या न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत नही होने की स्थिति में प्रबन्धन सम्बन्धित निविदादाताओं कि अमानत राशि लौटा सकेगा जो सभी को मान्य होगा।

1.5 सामान्य परिस्थितियों में अमानत राशि जो न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा कराई गयी हैं, उसे अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

1.6 यदि अमानत राशि का ड्राफ्ट संघ में जमा होता हैं तो निविदादाता ऐसी जमा की पक्की रसीद प्राप्त कर एवं भुगतान के समय उक्त जमा रसीद को समर्पित करें। संघ में जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

2.0 **निविदादाता की योग्यतायें**

2.1 संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य/श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वंय, पत्नी, आश्रित पुत्र एवं पुत्र वधु) निविदा में भाग नही ले सकेंगे।

2.2 निविदाकर्ता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नही होना चाहिये। निविदाकर्ता न्यायालय से घोषित अपराधी/दीवालिया करार नही होना चाहिये।

2.3 निविदादाता उक्त निविदा में भाग लेने के लिए **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च प्राथमिक पास होना चाहिऐ।**

2.4 अनुबन्धकर्ता अपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/संस्था/व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नही कर सकेगा जो कि संघ के हित में नही हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाड़ा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

2.5 (अ) निविदादाता यदि पुराना वाहन लगाने के लिए निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में वाहन पंजीयन, फिटनेस, बीमा, निविदादाता के नाम होना आवश्यक है व स्वयं द्वारा सत्पापित पंजीयन पत्रादि की प्रति पेश करनी होगी।

2.6 निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो जाने पर उसे निर्धारित अवधि में वाहन लगाना होगा निर्धारित अवधि तक वाहन नही लगाने वाले अनुबन्धकर्ता विपणन विभाग में होने वाले किसी भी निविदा में मार्च 2022 तक भाग नही ले सकेगा।

3.0 **अनुबन्ध अवधि, समाप्ति, नवीनीकरण, भंग आदि।**

3.1 अनुबन्ध अवधि **एक वर्ष** की होगी यदि दोनो पक्ष सहमत होते है तो उक्त अनुबन्ध का नवीनीकरण दो बार आगामी **एक–एक वर्ष** के लिए **कार्य मूल्यांकन** पश्चात् किया जा सकेगा, इस प्रकार कुल **अनुबन्ध अवधि तीन वर्ष से अधिक नही हो सकेगी।** मूल अनुबन्ध अवधि अथवा नवीनीकरण के पश्चात् अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारण वश निविदा में विलम्ब होता है तो प्रबन्धन तीन माह अथवा नयी निविदा होने तक जो भी पहले हो तक के लिये अनुबन्ध अवधि बढाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।

3.2 **एक वर्ष पश्चात् अनुबन्ध, कार्य मुल्यांकन पश्चात्, नवीनीकरण होने से पूर्व मोबाईल पार्लर में रिपेयरिंग एवं कलर (संघ द्वारा स्वीकृत पेन्टिग कार्य) कराने पर सक्षम कमेटी की अनुंषशा पश्चात् ही अगले वर्ष का कार्य आदेश दिया जावेगा।**

3.3 दोनो पक्ष यदि सहमत होते हैं कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध का संचालन आगामी अवधि के लिये करना सम्भव नही हो तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध की समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता हैं।

3.4 यदि अनुबन्ध कर्ता अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करता है जिसके कारण संघ को लगातार हानि होना प्रमाणित होता हैं, अनुबन्धकर्ता गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता हैं, संघ की सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाना, चोरी करना, संघ स्टाफ के साथ मारपीट करना, डराने–धमकाने की गतिविधियॉ करता हैं अथवा अनुबन्धित कार्य करना बन्द करता है अथवा अनुबन्धकर्ता के विरूद्ध किसी भी कारणवश पुलिस विभाग में अपराधिक मामला दर्ज होना पाया जाता हैं तो अनुबन्ध भंग की श्रेणी में माना जायेगा इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक के पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुये संघ के हितों को सुरक्षित रखते हुये अनुबन्ध की समाप्ति/समुचित आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

4.0 <u>धरोहर राशि</u>

4.1 सफल अनुबन्धकर्ता वितरक की अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार है धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी।

4.2 धरोहर राशि की मात्रा में कमी अथवा बढ़ोतरी सक्षम कमेटी की अनुशसा अथवा काम में कमी अथवा वृद्धि के मध्यनजर प्रबन्ध संचालक समुचित निर्णय ले सकते हैं।

4.3 अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात समस्त बकाया की वसूली होने के बाद एवं सम्बन्धित अनुमागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु अनुबन्धकर्ता के विरूद्ध किसी भी राज्य अथवा सरकार के विभाग द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय डिमाण्ड को भरने हेतु संघ को बाध्य किया जाता हैं एवं उसकी धरोहर राशि अथवा देय भुगतान पर रोक लगा दी जाती हैं अथवा सीधे भुगतान उन्हे स्थानान्तरित करने के आदेश संघ को मिलते हैं तो ऐसे समस्त भुगतान ठेकेदार को किये हुये माने जायेगें जिसका संघ पर कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

4.4 संघ की किसी भी प्रकार की बकाया राशि की वसूली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से की जा सकेगी।

5.0 <u>निविदा प्रक्रिया की सामान्य जानकारी</u>

5.1 सामान्य रूप से यथोचित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं संघ की नजर में बहुत अधिक व्यक्ति व्यवसाय इस कार्य क्षेत्र में बाजार में उपलब्ध यदि है, तो न्यूनतम तीन निविदायें प्राप्त होने पर निविदा खोलने की प्रक्रिया आरम्भ की जावेगी, किन्तु यदि संघ के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिये एवं होने वाली भावी हानियों को बचाने के उद्देश्य से अथवा टेण्डर प्रक्रिया की पालना नही होने के कारण संघ के कार्य जाम हो जाने की दशा में अथवा अन्य आन्तरिक कारणों के मध्यनजर सक्षम कमेटी की अनुशसा पर प्रबन्ध संचालक महोदय तीन से कम निविदा होने अथवा सिंगल निविदा होने पर भी संघ हित में निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

5.2 विषम परिस्थितियों में अथवा निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से लेकर निविदा खोलने की तिथि के मध्य तक किसी भी प्रकार की परिस्थिति की परिर्वतन अथवा प्राप्त निविदाओं स्थिति, कार्य आकस्मिकता, महत्व अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों के मध्येनजर प्रबन्ध संचालक महोदय को निविदा की किसी भी शर्त संशोधन करने, निरस्त करने अथवा शर्तो में शिथिल करने का पूर्ण अधिकार हैं। इसी प्रकार अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध करने के पश्चात भी अनुबन्ध की शर्तो को लागू करने, कम करने, शिथिल करने, किसी भी शर्त को समाप्त करने अथवा किसी भी शर्त को निरस्त करने व नई

शर्त जोडने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय के पास रहेगा।

5.3 किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने, अस्वीकृत करने अथवा वितरक मार्जिन को नेगोशियेशन का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित हैं।

6.0 **<u>प्राकृतिक आपदायें एवं राजकीय बाध्यतायें</u>**

6.1 किसी भी प्राकृतिक आपदा यथा तूफान, व्यापक हडताल/हिंसा–उपद्रव, भूकम्प अथवा किसी राजकीय कानून के लागू हो जाने के कारण अनुबन्ध का चालू रखना सम्भव नही रखने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में दोनो पक्ष होने वाली अपनी–अपनी हानि को स्वंय वहन करेंगे तथा अनुबन्ध भंग होने की स्थिति में संघ का कोई वित्तीय उतरदायित्व नही होगा।

7.0 **<u>विवादो का निपटारा/विवाचन (आरबीट्रेंशन)</u>**

7.1 उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उदयपुर और निविदादाता के मध्य इन शर्तो में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत अनुमन्य होगा। यदि संघ के मत से कोई निविदादाता असन्तुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को संघ द्वारा नियुक्त एकल विवाचक (सोल आरबीट्रेटर) को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एवं समस्त कार्यवाही ''आरबीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन एक्ट 1996'' के तहत सम्पादित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां उसी स्थान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत होगी, जिस स्थान पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है, अर्थात उदयपुर (राजस्थान) होगा। तद्उपरान्त सभी प्रसंगों का न्याय क्षैत्र केवल और केवल उदयपुर की अदालत के न्याय अधिकार क्षैत्र में आयेगा।

7.2 सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र उदयपुर ही होगा।

7.3 किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसका समाधान पंच निर्णायक कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा जिसमें प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया हुआ निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8.0 **<u>निविदा स्वीकार करने का अधिकार</u>**

8.1 उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर किसी भी निविदा अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगा। संघ के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार करें।

9.0 **<u>निविदा हस्तान्तरण अथवा अन्य व्यक्ति को सबलेट करना</u>**

9.1 प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना अनुबन्ध का हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा। अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध को किसी भी अन्य को सबलेट नही कर सकेगा।

9.2 यदि प्रबन्धन की अनुमति पर अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध हस्तान्तरण करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में :–

1 रू. एक हजार संघ में शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे।
2 ऐसा करने के लिये एक माह का नोटिस देना होगा।
3 वर्तमान अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त किया जावेगा एवं प्रस्तावित पक्षकार नवीन अनुबन्ध पत्र, धरोहर राशि, बैंक गारन्टी इत्यादि की समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर लेता हैं तत्पश्चात ही संघ में जमा धरोहर राशि, बैंक गारन्टी पुराने पक्षकार को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात लौटाई जा सकेगी।
4 इस सम्बन्ध में संघ द्वारा आपसी सहमति पर एवं अन्य विशेष शर्ते/प्रतिबन्ध यदि संघ लागु करता हैं तो तीनों पक्षकारों को मान्य होगी।

10.0 **<u>अनुचित साधनो या युक्तियों का उपयोग</u>**

10.1 निविदादाता द्वारा निविदा को स्वीकृत करवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा अनुचित प्रभाव का उपयोग अथवा उपहार, किसी प्रकार की उत्कोच संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को देना पाया जाना अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी समस्त गतिविधियों पर संघ में प्रतिबन्ध हैं।

10.2 अनुचित साधनों अथवा अनुचित दबाव प्रभाव का प्रमाण होने की स्थिति में निविदादाता की निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

11.0 **<u>बकाया राशियों की वसूली</u>**

11.1 संघ अपनी समस्त बाकियातं की वसूली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से अथवा उसकी बैंक गारन्टी को भुनवाकर फिर भी यदि कोई बकाया राशि रहती हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करने के लिये अधिकृत रहेगा।

11.2 अनुबन्धकर्ता के अनुबन्ध के सम्पादन के दोरान कार्य मे की गई लापरवाही अथवा राजकीय कानून का उल्लंघन किये जाने के परिणाम स्वरूप भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा पेनाल्टी अथवा बकाया राशियों का दावा पेश करने के कारण यदि संघ को किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती हैं, उस दशा में संघ एक माह का नोटिस देकर उक्त राशि का पुनर्भरण करने के लिये संघ अनुबन्धकर्ता को सूचित करेगा। यदि संघ की हानि की पूर्ति अनुबन्धकर्ता नही करता हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा संघ कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये सक्षम रहेगा।

11.3 अनुबन्धकर्ता, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क, लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिए अनुबन्धकर्ता स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

12.0 दुग्ध पदार्थ के विक्रय के लिये नकद राशी जमा करा बिल प्राप्त कर सप्लाई करनी होगी।

13.0 **<u>कार्य अनुभव</u>**

13.1 सहकारी डेयरी उद्योग (दुग्ध उत्पाद एवं आईसक्रीम वितरण कार्य न्यूनतम 6 माह का कार्य अनुभव) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र की फोटोकॉपी चाहिए भाग–1 के साथ लगाना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>विशेष शर्ते :–</u>

(अ) दुग्ध <u>उत्पाद विक्रय कार्य</u>

1 अनुबन्धकर्ता वितरक स्वंय के खर्चे पर प्रभारी विपणन के निर्देशानुसार अपने मोबाईल पार्लर की <u>डिजाईन / निर्माण</u> कार्य टेम्पो पर ही दुग्ध उत्पाद डिजाईन पेन्टिगं करवाने के लिये बाध्य होगा एवं खराब होने की स्थिति में अपने खर्चे पर सही करवाना होगा। इसी प्रकार अनुबन्ध समाप्ति पर <u>उपरोक्त पेटिंग को मिटाना होगा।</u>

2 विशेष परिस्थितियो मे दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य बन्द रखा जा सकेगा, जिसकी कोई क्षति पूर्ति देय नही होगी। संघ के जोन/मार्ग अनार्थिक होने पर पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के बाद मार्ग पर आईस्क्रीम एवं दुग्ध उत्पाद का कार्य बन्द किया जा सकेगा। जिसके लिये कोई राशि हर्जाना/क्षति पूर्ति देय नही होगी।

3 डीजल की दरों में सरकार द्वारा कमी/वृद्धि होने पर संघ द्वारा किसी प्रकार की कमी/वृद्धि नही की जावेगी।

4 निविदादाता निविदा में दो से अधिक निविदा में भाग नही ले सकता है।

5 मोबाईल पार्लर वाहन (टेम्पो) संचालनकर्ता को प्रतिदिन औसतन रु 10000/– का माल (दुग्ध उत्पाद,आईसक्रीम) का बिल कटाना होगा। एवं प्रतिदिन औसतन 50 किलोमीटर वाहन को चलाकर दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना होगा। एवं Log Book को सत्यापित करवाना होगा।

6 सफल वितरक को संघ द्वारा देय फार्मेट अनुसार इकरारनामा (रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) निस्पादित कराना होगा।

7 सफल वितरक को न्यूनतम सदस्यता शुल्क की एवज में रू 100/– नकद, संघ की बिल–शाखा में जमा कराना होगा।

8 संघ द्वारा अनुंबधकर्ता से एक से अधिक वाहन लगाने के लिए कहा जाए तो अनुंबधकर्ता को अनुंबध की नियम एवं शर्तो पर वाहन लगाना होगा।

9 सफल निविदादाता फर्म के स्टॉफ द्वारा चोरी करते हुये पाये जाने पर पकडे गये माल की (चोरी की) मात्रा की **<u>कीमत का दस गुना राशि शास्ती के रूप में अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल की जा सकती हैं।</u>** साथ ही चोरी में लिप्त कर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पुनः आपके अथवा अन्य अनुबन्धकर्ता वितरक के वाहन पर सेवा हेतु नही रखा जा सकेगा।

10 अनुबन्ध कर्ता/मोबाईल पार्लर के ठेकेदार अपने मोबाईल पार्लर के वाहन पर जो ड्राईवर/हेल्पर लगाये जावेगें उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अर्थात् वो बालिग की श्रेणी में होना चाहिए। अनुबन्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने पर यदि किसी भी वाहन पर ड्राईवर/हेल्पर की 18 वर्ष से कम आयु का पाया गया तो उसे टेण्डर शर्तो का उल्लंघन मानते हुए उक्त वाहन के अनुबन्धकर्त्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे ली जावेगी। जिसके अन्तर्गत उसका टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है, साथ ही ड्राईवर के लाईसेन्स की प्रति लगानी होगी।

11 अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा किसी दिन माल वितरण नही करने पर संघ द्वारा अनुबन्धकर्ता वितरक के हर्जे खर्चे व जोखिम पर व्यवस्था यदि की जाती हैं तो समस्त अतिरिक्त खर्च मय हानि की वसूली अनुबन्धकर्ता वितरक से की जावेगी तथा अतिरिक्ति रूपये 500रू. प्रतिदिन की शास्ती भी वसूल की जावेगी परन्तु सामान्यतः संघ वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य नही होगा।

12 प्राकृतिक आपदा व हडताल जैसे कारणो से अथवा अन्य कारण वश माल वितरण नही हो पाता हैं तो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज संघ द्वारा देय नही होगा ।

13 **अनुबन्धकर्त्ता को आंवटित क्षैत्र में उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु संघ द्वारा डीलर दर पर देय होगें, जैसेः– बटर, श्रीखण्ड, Long Life Product पनीर, दही, छाछ, रसगुल्ले, गुलाबजामुन, आदि–आदि विक्रय करने होगें। विशेष परिस्थितियों में उक्त मात्रा में कमी/वृद्धि किये जाने का अधिकार प्रभारी विपणन के पास निहित होगा।**

14 वितरक को संघ द्वारा निर्मित, घी के अतिरिक्त अन्य दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर एवं घी वितरक दर से प्रति किलो/लीटर पर रू 2.00 अतिरिक्त पर नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त करने होंगे। वितरक एक दिन पश्चात की जाने वाली डिमांड आपूर्ति से संबधित नकद राशि (वितरक दर अनुरूप) सीधे ही दुग्ध संघ के खाते (लेखा–शाखा द्वारा निर्देशित व्यवस्था अनुरूप) में एक दिन पूर्व जमा किया जाना सुनिश्चित करावेगा ताकि अगले दिन बिल कटाने हेतू लगने वाले अनावश्यक समय को कम किया जा सकें। सफल वितरक द्वारा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर संघ द्वारा शास्ति आरोपित की जावेगी।वितरक, दुग्ध संघ, उदयपुर एवं आर.सी.डी. एफ.जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विपणन कार्य करने हेतू बाध्य होंगे।

15 सफल वितरक को अपनी दुकान अथवा गोदाम पर कोल्ड चेन हेतू एक कार्यरत डीपफ्रिज एवं वी.सी. कूलर की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी होगी जिसका किराया, रख–रखाव एवं मरम्मत की समस्त जिम्मेवारी वितरक की स्वयं की होगी। जिसका निरीक्षण समय–समय पर मार्ग प्रतिनिधी द्वारा किया जा सकेगा। गर्मी के समय जब डिमांड अधिक होगी उस समय वितरक को दुग्ध उत्पाद के भण्डारण की उचित व्यवस्था कर उत्पाद की डिमांड पूर्ति विक्रय केन्द्रों को समय अनुरूप करानी होगी।

16 वितरक को संघ द्वारा इश्यु किये गये दुग्घ उत्पाद का वितरण रिर्टनेबल क्रेट में ही किया जावें जो क्रेटें संघ द्वारा इश्यु की जावेगी उन्हें दूसरे दिन सप्लाई ले जाते समय आवश्यक रूप से संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। पूर्व में की गई सप्लाई की क्रेटों से कम क्रेटें जमा कराने पर शेष क्रेटों की कीमत वितरक द्वारा वसूल की जावेगी। सफल वितरक को क्रेटों का प्रतिदिन का विवरण विपणन कार्यालय से हर माह प्राप्त करना होगा। इसके साथ प्रत्येक माह की अंतिम दिनांक को बकाया क्रेटों का नोडयूज कराना आवश्यक होगा नोडयूज होने के उपरान्त ही परिवहन व्यय हेतू बिल का भुगतान किया जावेगा।

17 **निविदा/कार्य आदेश मे स्वीकृत मोबाईल पार्लर ही दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य दैनिक रूप से सम्पादित करेगा। दुर्घटना अथवा तकनिकी खराबी होने पर प्रभारी विपणन की स्वीकृति पश्चात् ही अन्य वाहन लगाया जा सकेगा।**

18 संघ अथवा उसका अधिकृत अधिकारी को अनुबन्धकर्ता के मोबाईल वाहन/आफिस/अन्य स्थान जो मोबाईल वाहन संचालन कर्त्ता के कार्य में लिया जा रहा है, को किसी भी समय चैक करने का अधिकार विपणन विभाग का होगा। इस सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। सहयोग न करने की स्थिति में शास्ती आरोपित की जायेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

19 उपभोक्ताओ/दुग्ध विक्रेताओ को अच्छी सेवा देने हेतु संघ के प्रबन्ध संचालक अनुबन्ध अवधि के दौंरान अनुबन्ध की किसी भी शर्त मे परिवर्तन/संशोधन नई शर्त लागू करने का अधिकार रखते हैं।

20 निविदादाता को मोबाईल पार्लर पर वाहन के आगे एवं पीछे (ऊपर की तरफ) वाहन का नम्बर एवं मार्ग रेडियम अथवा रेक्ट्रो फ्लेक्स से लिखवाना होगा, अधिक जानकारी प्रभारी विपणन से ली जा सकती है।

21 सफल मोबाईल पार्लर संचालक डीडी द्वारा रूपयें 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) सुरक्षा राशि (सिक्यूरिटी मनी) के रूप में संघ कार्यालय मे जमा कराने पर ही यह अनुबन्ध प्रभावी होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। इस के अतिरिक्त नेशनलाईज्ड बैक से रु एक लाख की बैंक गारन्टी चौबीस माह की देनी होगी।

22 मोबाईल पार्लर वाहन संचालनकर्ता की वाहन की बोडी एवं डिजाईन संघ के निर्देशानुसार बनानी होगी।

23 मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता को मोबाईल पार्लर में दो डीप फ्रीजर (हार्डनर) अथवा जाइलोकूल, डीपफ्रीजर ऐसे लगाना होगा कि डीपफ्रीजर को विधुत से चार्ज किया जावें जिसकी बैकअप पॉवर न्यूनतम 08 घण्टे की हो।

24 मोबाईल पार्लर संचालन कर्ता को आईसक्रीम एवं दुग्ध उत्पाद बाजार में उपभोक्ताओं को विक्रय के साथ यदि शादी एवं पार्टी के आर्डर प्राप्त होते है तो वह आर्डर प्राप्त करने के लिये अधिकृत हैं, परन्तु संघ की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

25 सफल मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता को अवश्यकता अनुसार स्वीकृत दरों पर मोबाईल पार्लर उपलब्ध कराने होगें। **भाग ब में एक वाहन की प्रतिदिन दर भरनी होगी** तथा शहर से बाहर जाने हेतु दर प्रति किलोमीटर पर दे। फिलहाल एक वाहन की आवश्यकता है किन्तु भविष्य मे आवश्यकता होने पर सफल निविदादाता को इसी दर पर दूसरा वाहन भी उपलब्ध कराना होगा।

26 निविदा दाता को कार्य आदेश निम्न दस्तावेज की छाया प्रति उपलब्ध कराने पर देय होगा–जैसे GST सर्टिफिकेट की छाया प्रति,पेन न0,फूड लाइसेन्स की छाया प्रति, वाहन से सम्बन्धित समग्र दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज संघ द्वारा माँगने पर उपलब्ध कराने होगें।

27 मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता मोबाईल पार्लर वाहन का संचालन निर्धारित दैनिक समय सारणी एवं जोन के अनुसार करेगा।

28 उत्पादों का विक्रय मूल्य समय समय पर संघ द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी पालना मोबाईल पार्लर वाहन संचालक को करनी होगी। साथ ही उत्पादों की मूल्य सूची भी मोबाईल पार्लर वाहन पर लगानी अनिवार्य होगी। निर्धारित मूल्य से अधिक पर उत्पाद बेचने सम्बन्धी जानकारी संघ मे प्राप्त होने पर संघ द्वारा मोबाईल पार्लर वाहन संचालक पर शास्ति आरोपित की जावेगी एवं इस प्रकार की शिकायत की पुनरावृत्ति होने पर आपका आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति/मुआवजा संचालक को देय नही होगा।

29 संघ द्वारा वितरित किये गयें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रूप/गुणवत्ता आदि मे किसी प्रकार की छेड़छाड़ या मिलावट सम्बधी शिकायत प्राप्त होने पर मोबाईल पार्लर वाहन का आवंटन तुरन्त प्रभाव से रदद् किया जायेगा एवं इस कारण आपको होने वाली किसी भी हानि के लिये मोबाईल पार्लर वाहन संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

30 सामान्य परिस्थिति मे विक्रय किये सरस उत्पाद संघ मे वापस नही लिये जायेंगे।

31 सरस उत्पाद एवं अनुमोदित अन्य उत्पाद के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स) तथा बीडी सिगरेट, गुटखा, आदि मोबाईल पार्लर वाहन मे रखने की ईजाजत नही होगी।

32 मोबाईल पार्लर वाहन पर कार्यरत कर्मचारीयों को व्यवस्थित वेशभुषा पहननी होगी। जिसकी व्यवस्था संचालक को स्वयं करनी होगी। तथा मोबाईल पार्लर चालक/सेल्समेन को परिचय पत्र रखना होगा।

33 मोबाईल पार्लर वाहन का कार्य करने हेतु वांछित संख्या मे कर्मचारीयों को नियुक्त करने का दायित्व संचालक का होगा। कर्मचारीयों का मुख्य नियोक्ता मोबाईल पार्लर संचालक ही होगा एवं उनका वेतन आदि का सम्पूर्ण दायित्व भी उसी का होगा।

34 **प्रबन्ध संचालक महोदय के निर्देशानुसार यदि मोबाईल पार्लर को ग्रामीण क्षैत्रों में आयोजित होने वाले मेंलो, त्योंहारो इत्यादी कार्यक्रमों में सरस दुग्ध उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु भेजा जाता है तो उस दशा में मोबाईल पार्लर संचालकन कर्त्ता को उस दिवस का स्वीकृत किराया एवं मोबाईल पार्लर के आने जाने के किलोमीटर हेतु निविदा मे स्वीकृत किलोमीटर की दर के आधार एवं उस मार्ग में आने वाले टोल टेक्स का भुगतान बिल के साथ रसीद प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा देय होगा।**

हस्ताक्षर निविदा दाता
मय सील पूरा पता

अनुबन्ध का प्रारूप
AGREEMENT

This agreement has been made on this -------------------------- day of month ------------------ year -------------- between Shri --- S/O --------------------------------------- Resident --------------------------------------- (hereinafter called the Mobile Parlour Operator which in expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) and the Managing Director of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Udaipur (hereinafter called to the Sangh) which in expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the managing director for the purpose.

Where as the Mobile Parlour Operator has agreed to purchase the milk & milk products from Sangh by paying the purchase value of milk & milk products as cash payment basis and will supply the products as per instruction of Sangh at the specified destination and will maintain cold chain to keep safe guard of the quality of products on the other hand to up keep this contract the Sangh will sale/supply the milk & milk products to the Mobile Parlour Operator as per the terms & conditions & the manner set forth in the tender documents which is the integral part of the contract and appended here with and the agreement.

Now the contract conditions are witnessed on follows.

1. Where as the Mobile Parlour Operator has deposited Rs- ----------------/- vide Sangh receipt No. ---------Dated -------------------- as security deposit for the due performance of the aforesaid agreement -
2. The conditions of the tender and contract enclosed the Tender Notice No. ------------------ dated ----------- and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on both the parties executing this agreement.
3. Whereas this agreement has/will come in to force for the period with effect from --------------------------- and will remain in force up to -------------------------------------- and can be terminate earlier also by giving suitable notice by Managing Director, Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Udaipur to the -----------------------------------.
4. In case of none-fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the Mobile Parlour Operator penalty at the rates mentioned in the terms and conditions attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the Mobile Parlour Operator property in case security is not sufficient to recover the damage of the Sangh. The contract can also be terminated in such case.
5. In the event of the Mobile Parlour Operator shall be responsible to made alternate arrangement for the prescribed manner.. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretations of this agreement shall be decided by the Managing Director of the Sangh and decision of Managing Director shall be final and binding on both the parties executing the agreement.
6. The jurisdiction of the disputes is restricted to Udaipur only.

In witness of the parties here to set their hands on this ----------- day of ---------------2022

Signature of Mobile Parlour Operator	Signature for and on behalf of the Sangh
Witness:-	Witness:-
1. --------------------------------	1. ---------------------------
2. --------------------------------	2. ---------------------------

(यह प्रपत्र केवल आपकी जानकारी हेतु है)
टेण्डर फार्म भाग 'ब' (वित्तिय निविदा)

1 विषयः— **उदयपुर शहर एवं आसपास के क्षैत्रो मे मोबाईल पार्लर द्वारा दुग्ध उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु। (एक वाहन हेतु दर)**

2 निविदादाता का नाम श्री ....

3 पुत्र श्री ....

4 पूरा पताः—

....

....

....

5 निविदादाता की फर्म का नाम ....

6 वाहन का मॉडल नम्बर :—...

7 निमित : प्रबन्ध संचालक उ.दु.उ.स.सं.लि.

(अ) उदयपुर शहर हेतु

अंको में ....प्रति मोबाईल पार्लर दर प्रतिदिन

शब्दो में.. प्रति मोबाईल पार्लर दर प्रतिदिन

(ब) उदयपुर शहर से बाहर जाने हेतु

अंको में ....प्रति किलोमीटर प्रति मोबाईल पार्लर

शब्दो में.. प्रति किलो मीटर प्रति मोबाईल पार्लर

हस्ताक्षर निविदा कर्ता
मय सील एवं पूरा पता